



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 भाद्र , 1943 (श०)

संख्या-470 राँची, मंगलवार,

14 सितम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

17 अगस्त, 2021

संख्या-03/मुकदमा-03-01/2021 का.4069--श्री विनोद शंकर मिश्रा, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-315/03), सेवानिवृत्त अपर समाहर्ता, भूमि सुधार एवं नक्सल, हजारीबाग के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या 7670 दिनांक 02.09.2016 द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 956 दिनांक 30.01.2017 द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि, अपर सचिव कोटि तथा विशेष सचिव कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति का वित्तीय लाभ हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No- 4479/2017 विनोद शंकर मिश्रा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2018 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

“As a cumulative effect of the aforesaid rules, guidelines and judicial pronouncements and legal proposition, I find merits in the instant writ petition and as such, writ petition stands allowed. Consequently, part (Para2) of Notification dated 2nd September, 2016 (Annexure-2) and part (para-2) of Notification dated 30th January, 2017 by which respondents have directed that petitioner will be entitled to

be given financial benefits with effect from the date of his joining, are hereby quashed and set aside. As a result of quashment of the impugned orders, the petitioner is entitled for promotional as well as monetary benefits from the date of notional promotion itself. The respondents are directed to pay entire amount with all consequential benefits, within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order."

2. उक्त न्यायादेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA संख्या 508/2018 दायर किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा Defect के फलस्वरूप Dispose कर दिया गया। उक्त LPA में दिनांक 14.12.2020 को हुई सुनवाई के आलोक में विभाग द्वारा LPA संख्या 508/2018 को restore करने हेतु CMP 40/21 दायर किया गया है ।

3. उल्लेखनीय है कि श्री विनोद शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त झां०प्र०से० को उनके विरुद्ध दर्ज वशिष्ट नगर (जोरी) थाना कांड संख्या-40/96 दिनांक 08.12.1996 चतरा जिला से संबंधित विशेष वाद संख्या 14/2005 में दिनांक 29.06.2005 को आरोप पत्र समर्पित रहने के कारण ससमय प्रोन्नति नहीं प्रदान की गई थी ।

4. उक्त वाद में विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू के द्वारा दिनांक 11.01.2016 को आरोप मुक्त होने के फलस्वरूप श्री मिश्रा को विभागीय अधिसूचना संख्या 7670 दिनांक 02.09.2016 के द्वारा दिनांक 24.12.2005 के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की गई ।

5. श्री मिश्रा को तदुपरांत विभागीय अधिसूचना सं०- 956 दिनांक 30.01.2017 द्वारा निम्नांकित कोटियों में भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की गई :-

क्र०	कोटि	तिथि
i	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान PB IV-37400-67000 ग्रेड-पे 8700)	18-06-2011
ii	अपर सचिव कोटि (वेतनमान- PB IV-37400.67000 ग्रेड-पे 8700)	03-12-2013
iii	विशेष सचिव कोटि (वेतनमान- PB IV- 37400.67000 ग्रेड-पे 8900)	25-11-2016

6. श्री विनोद शंकर मिश्रा के द्वारा W.P.(S) No. 4479/2017 में दिनांक 16.03.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु अवमाननावाद संख्या 704/2020 दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 09.07.2021 को पारित अंतरिम न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"It appears that the State is in habit of filing L.P.A to frustrate the order passed in writ petition. However, in peculiar situation, further three weeks time is allowed for compliance of the courts order dated 16.03.2018."

7. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में W.P.(S) No-4479/2017 में दिनांक 16.03.2018 तथा अवमाननावाद संख्या 704/2020 में दिनांक 09.07.2021 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74, झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 एवं वित्त विभागीय संकल्प सं0 2074/वि(2), दिनांक 04.04.1985 जो भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति व आर्थिक लाभ नहीं दिये जाने के प्रावधान से सम्बन्धित है एवं अन्य संगत परिपत्रों को विशेष परिस्थिति में शिथिल करते हुए श्री विनोद शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० को विभागीय अधिसूचना संख्या 7670 दिनांक 02.09.2016 तथा अधिसूचना संख्या 956 दिनांक 30.01.2017 द्वारा निम्नांकित कोटियों में भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति का उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2017 तक वित्तीय लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	कोटि	तिथि
i	अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान- PB III- 15600-39100 ग्रेड-पे 7600)	24-12-2005
ii	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (वेतनमान- PB IV- 37400.67000 ग्रेड-पे 8700)	18-06-2011
iii	अपर सचिव कोटि (वेतनमान- PB IV- 37400.67000 ग्रेड-पे 8700)	03-12-2013
iv	विशेष सचिव कोटि (वेतनमान- PB IV- 37400.67000 ग्रेड-पे 8900)	25-11-2016

8. यह निर्णय L.P.A. संख्या 508/2018 एवं इसी क्रम में दायर C.M.P.- 40/2021 में माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा ।
9. प्रस्ताव पर विभागीय संलेख संख्या 3773 दिनांक 05.08.2021 के माध्यम से राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का दिनांक 14.08.2021 को अनुमोदन प्राप्त है ।
10. इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
